COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE, PATNA ORDER

In continuation of the order vide Memo no. 876, Dated- 21.01.2025; it has been made to appear to me that due to prevalent cold weather and low temperature prevailing particularly in morning and evening in the district, health and life of children are at risk.

I, Dr. Chandra Shekhar Singh, District Magistrate, Patna under section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 do hereby prohibit the academic activities of all the private and government schools (including pre-schools and Anganwari centres) of the district, up to Class-VIII till 25.01.2025. Classes from IX onwards will continue with due precautions between 09:00 AM and 03:30 PM. The academic activities related to Board Examinations will be exempted.

The order as mentioned above will come into force w.e.f. 24.01.2025 and will remain effective till 25.01.2025 in the district.

This order has been passed on 23.01.2025 under my signature and seal of the court.

> (Dr. Chandra Shekhar Singh) District Magistrate,

Patna.

/Legal, Patna, dated Memo No Copy forwarded to SSP, Patna/All SDMs/All SHOs, Patna District for information and necessary action.

Copy forwarded to District Education Officer, Patna/DPO, ICDS, Patna for information and with a direction to ensure compliance of the above said order.

Copy forwarded to District Public Relation Officer, Patna for information and necessary action.

District Magistrate,

Patna.

Memo No 981 /Legal, Patna, dated 23/01/2025

Copy forwarded to Commissioner, Patna Division, Patna for kind information.



<u>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।</u> आदेश

जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 876, दिनांक 21.01.2025 के क्रम में मैं, डाँ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा—163 के तहत पटना जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री—स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग—8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 25.01.2025 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग—8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 24.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 25.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 23.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

> हुं/-(डॉ0 चन्द्रशंखर सिंह) जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक...../विधि पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि— वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना जिला / सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,

पटना।

ज्ञापांक / विधि पटना, दिनांक – 23/01/2025

प्रतिलिपि— आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

